16.06.25

वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी का मूल वाद इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्या सोनी)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

आगे नहीं चलाना चाहता हूँ